

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या प्र02 वि01-64/2012 3624- खाद्य,पटना/दिनांक 26-07-12

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9(a) तथा 10 (1-a) में यथा विनिर्दिष्ट तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम (3) एवं (4) में अंकित प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान की तिथि से पूर्ण कालिक अध्यक्ष के पद पर पाँच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक के लिए नियुक्त किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम एवं पता	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	अभियुक्ति
01	02	03	04
01	श्री चन्द्रशेखर प्रधान पिता - श्री दिनानाथ प्रधान, पता - ग्राम-परसगंदा, थाना- सिकरौत, जिला-बक्सर पत्राचार का पता- फ्लैट संख्या- 1/C देवहुती कुटिर, ममता अपार्टमेन्ट रोड, शिवपुरी, पटना-23	नालन्दा	
02	श्री राधे श्याम सिंह पिता- श्री राज नारायण सिंह पता- ग्राम- बेनौत, पो0- सराव, थाना- रसुलपुर, जिला-सारण।	बक्सर	
03	श्री राम प्रिया शरण सिंह पिता - स्व0 भागवत सिंह, पता- मोहल्ला-40/B, श्री कृष्णापुरी, पटना-800001	जहानाबाद	
04	श्री लाल बहादुर सिंह पिता- स्व0 गोविन्द सिंह पता- फ्लैट संख्या- 306, ललित बिहार अपार्टमेन्ट, विश्वरैया नगर, बेली रोड, गोला रोड के नजदीक, दानापुर, पटना-801503	सिवान	
05	श्री मिथलेश कुमार द्विवेदी पिता- स्व0 अयोध्या द्विवेदी पता- फ्लैट संख्या- F3, फेज 2, त्रिभुवन गोपाल इन्क्लेव, नबाडा कॉलोनी, खाजपुरा, बेलीरोड, पटना-800014	सीतामढ़ी	
06	श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, पिता- स्व0 हरेराम लाल श्रीवास्तव, पता - द्वारा- श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव सरदार बाबा सिंह के पीछे, मोहल्ला+पो0- मोहन्दीपुर, जिला -गोरखपुर, उत्तरप्रदेश, पिन-273008	शिवहर	

07	श्री त्रिलोकी तिवारी पिता- स्व० नथुनी तिवारी पता- ग्राम-सुनुपुर, पो०- पाण्डेयपुर, थाना- बैद्यघाट, जिला- देवरिया, उत्तरप्रदेश		सहरसा
08	श्री हरिदयाल पटेल पिता- स्व० प्रयाग दत्त पता- ग्राम- भिस्वा, पो०- मसुरगंज, जिला- कुशीनगर, मकान संख्या-71-V, गांगल सालीक्राम, प्रीत बिहार, उत्तरप्रदेश		किशनगंज
09	श्री सुधाकर सिंह, पिता- श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, पता- ग्राम- गौनार, थाना-पो०- हाता, जिला-खुशीनगर वर्तमान पता- मकान संख्या-100B, रामनगर, इंडस्ट्रीयल स्टेट के पुरब, गोरखनाथ, गोरखपुर, उत्तरप्रदेश		मुंगेर
10	श्री विश्वनाथ हरिजन पिता- श्री मोलाई हरिजन पता- ग्राम- एम०आई०जी०-2/22, हाहावलीपुरम, वान्की कल्याणपुर रोड, जिला- कानपुर नगर, उत्तरप्रदेश		रथगड़िया
11	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव पिता- स्व० कामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, पता- फ्लैट संख्या-304, मातेज इन्वलेव, श्याम अस्पताल, जटिल मौर्या पथ, पो०- फुलवारी कॉलेज, पटना-800014	भेटनरी कॉलेज,	भागलपुर

- अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर योगदान नहीं करने पर अधिसूचना विलोपित समझी जाएगी एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- अध्यक्षों का वेतन सेवा निवृत्ति की तिथि को प्राप्त वेतनमान में दित्त विभाग के संकल्प संख्या 1434 दिनांक 09.03.2000 के आलोक में निर्धारित होगा।
- नवनियुक्त अध्यक्ष अपना योगदान संबंधित जिला के जिलाधिकारी को देंगे। योगदान की प्रति अध्यक्ष, राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण/विशेष सचिव-सह-निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुत करेंगे।
- योगदान पत्र के साथ जन्म प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति तथा घोषणा पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- वांछित प्रमाण-पत्र के अभाव में योगदान स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- प्र02 वि01- 64 / 2012 3684 खाद्य, पटना/दिनांक 26-07-17
प्रतिलिपि- ई-गजट प्रभारी, विस विभाग, बिहार, पटना को M.S. Word में सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड
कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलंब में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि अधिसूचना की 100(एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की
जाय।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- प्र02 वि01- 64 / 2012 3624 खाद्य, पटना/दिनांक 26-07-17
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/निबंधक, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार,
आर0 ब्लॉक, पटना/विशेष सचिव-सह-निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, खाद्य एवं उपभोक्ता
संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता
फोरम/संबंधित सभी नवनियुक्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम/संबंधित कोषागार
पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आगत सचिव/प्रशाखा-05/प्रशाखा-02, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
विभाग, बिहार, पटना को 5 अतिरिक्त प्रतियों के साथ तथा आई0 टि0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता
संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता
संरक्षण, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वे संबंधित नवनियुक्त अध्यक्षों को अधिसूचना की प्रति का
तामिला अपने स्तर से शीघ्र कराना सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के सचिव